आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) Revenue Misc. Revision No. 16/2023 **बिनोद कुमार केडिया–बनाम–कृष्णा पाण्डेय एवं राज्य** आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवा: वारे मे ि तिथि सहित

30/1/25

पुनरीक्षण वादी 1.बिनोद कुमार केडिया, पिता–स्व0 द्वारिका प्रसाद केडिया
सा0–आई.एम.एस, रोड पो0–गिरिडीह
था0–गिरिडीह(टाउन), जिला–गिरिडीह।

उत्तरवादीः– 1.कृष्ण पाण्डेय, पिता–परमानंद पाण्डेय,
सा0–हाई स्कूल रोड, पो0–पचम्वा,था0–पचम्वा
जिला–गिरिडीह।
2. राज्य

–:आदेशः–

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद सं0 04/2020–21 कृष्ण पाण्डेय बनाम बिनोद कुमार केडिया में पारित आदेश दिनांक 27.05.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही राज्य को भी विपक्षी के में जोड़ते हुए विपक्षी को नोटिस कर निम्न न्यायालय अभिलेख की माँग करने का निदेश दिया गया।

वादगत भूमि की विवरणीः–

अंचल	मौजा	खाता नं0	प्लॉट न0	रकवा
गिरिडीह	मण्डरडीह	81	391	227 डी0

भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा पारित आदेश निराधार, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर एवं कानून के नजर से सही नहीं है साथ ही यह भी बतलाया गया कि अंचल अधिकारी द्वारा सुधारवाद में पारित आदेश को निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील बाद के रूप में सुना जाना विधि सम्मत नहीं है एवं वादगत भूमि पर केडिया धर्मशाला लगभग 12 वर्षों से अधिक अरसे से चला आ रहा है एवं विपक्षी द्वारा दायर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट नंबर 245/2018

को भी दिनांक 20.2.2025 को डिसमिस्ड किया जा चुका है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा पारित आदेश set aside करने योग्य है।

अपने पक्ष के समर्थन मे पुनरीक्षण वादी के विज्ञ अभिवक्ता द्वारा List of document के साथ

1. Photo copy of registered sale deed no. 5676 of 1949 along with hindi version 2. Photo copy of registered sale deed no. 6698 of 1949 along with hindi version 3. Government rent receipt 4.Photocopy of deed of trust.4. Photocopy of dismissed order dated 20.02.2025 of O.S 692/2019/245/2018 दायर किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में यह तर्क दिया गया की पुनरीक्षण वादी वादगत भूमि से संबंधित नहीं है वह सीता देवी के कानूनन वारिस नहीं है जबकि विपक्षी वादगत भूमि के खतयानी के वंशज है साथ ही बतलाया गया कि विपक्षी गण वादगत भूमि पर 100 वर्षों से भी अधिक अर्शे से रहते आ रहे हैं उन्हें इसी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास भी मिला हुआ है और इनके द्वारा कुछ भूमि बिक्री भी की गई है जो यह दर्शाता है की ये ही वादगत भूमि के स्वामी है। पुनरीक्षण वादी द्वारा गलत एवं फर्जी कागजात के आधार पर वादगत भूमि पर दावा किया जा रहा है जो कानून के नजर से सही नहीं है इसके बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा बिना गहन जांच के और तथ्यों को दरकिनार करते हुए एक लोंग रनिंग जमाबंदी को कैंसिल किया गया जो न्याय उचित नहीं है और सिविल कोर्ट में डिसमिस्ड टाइटल सूट नंबर 245/2018 को सुनवाई हेतु पुणर्जीवित किया गया है इसलिए यह पुनरीक्षण वाद खारिज करने योग्य है।

अपने पक्ष के समर्थन मे विपक्षी द्वारा List of document के साथ कुल 20 दस्तावेज दायर किया गया, जो अभिलेखबद्ध है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद 04/2020–21 कृष्णा पाण्डेय बनाम विनोद कुमार केडिया में दिनांक 27.05.2023 को पारित आदेश को मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा विविधवाद संख्या 16/2020–21 के अंतर्गत लगभग 70 वर्ष पुराने डिड के आधार पर प्रथम पक्ष का जमाबंदी घटाने का कोई औचित्य नहीं है। चुकी यह मामला जमीन के स्वामित्व से संबंधित है तथा इस संबंध में स्वामित्व वाद सिविल न्यायालय गिरिडीह में लंबित है तथा इस वाद का समाधान टाइटल सूट में सिविल न्यायालय गिरिडीह द्वारा पारित आदेश से ही संभव है। अतः विविधवाद संख्या 16/2020–21 में अंचल अधिकारी गिरिडीह द्वारा दिनांक 17.12.2020 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा वादगत जमीन की जमाबंदी के संबंध में 2017–18 के पूर्व की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है।"

–: विवेचना :–

1. As per section 18 of The Bihar Tenant's Holding Act,1973 for Correction of continuous Khatian and Tenant's Ledger Register- After the expiry of the period of appeal fixed under clause) of sub-section (4) of Section 15 or revision under Section 16 and in appeal or revision has been preferred after the disposal of such appeal or revision, (the Anchal Adhikari shall cause to be made necessary correction in the prescribed manner in the continuous Khatian and Tenant's Ledger Register and forward copíes of the corrected entries thereof to the Sub-Divisional Officer and the Collector who shall get the copies of the said registers corrected accordingly.

2. As per Provision of section 14 of The Bihar Tenant's Holding Act,1973:-Section 14 of the Bihar Tenant's Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 does not recognize or confer any title or interest in any property on any person but it only recogrnizes the person from whom rent is to be realised in respect of lands. Transmutation of names by virtue of purchase or otherwise is covered under Section 14 of the Act and not under Section3 which provides for objection within limited periods to the continuous khatiyan once published. In the instant case, mutation is sought for by virtue of purchase and therefore, is covered under Section 14 and not under Section 3 of the Act. However, where complex questions of law with regard to inheritance and/or interest in property are called in question, it would be better to move the competent Civil Court for declaration of right, title and 3 interest rather than fight it under the. Act before Anchal Adhikari.(Ramji Prasad Singh vs State of Bihar, {2008}3PLJR 245(Pat)."

3. एक लंबे अरसे से कायम जमाबंदी (लगभग 75 वर्ष) में संशोधन अथवा रद्द करने का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा ही लिया जाना उचित होगा ।

उपरोक्त विवेचना, सम्पूर्ण अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क/दायर दस्तावेज/आवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद 04/2020–21 कृष्णा पाण्डेय बनाम विनोद कुमार केडिया में दिनांक 27.05.2023 को पारित आदेश** तर्कशील एवं न्यायोचित है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः पुनरीक्षण वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। आदेश से असंतुष्ट होने वाले पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति के साथ मूल निम्न न्यायालय अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह को भेजे। पारित आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करावें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Ramniwas Yadav
Date: 2025.12.31 16:36:19 +05:30
Location: 192.168.101.2